

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 2258/14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 9/1, फरवरी, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

अमरोहा में दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग (एन.एच-24) के किमी० 126 (चैनेज 125.732) की बायीं पटरी पर ग्राम नारंगपुर के खसरा संख्या-41 पर नयारा एनर्जी लिमिटेड नोएडा (पूर्व एस्सार ऑयल लि०) द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट/पैट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.245113 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-8वी/यू०पी०/06/01 /2019/एफ०सी०/57 दिनांक 08-01-2019 एवं आपका पत्रांक-1377/अमरोहा/30135/2017 दिनांक 10-01-2019।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (दिनांक 08-01-2019) द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या-4805/14-1, दिनांक 18-02-2019 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेखों की 3-3 प्रतियां संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है-

Observ. No.	Observation of GOI	Reply
1	The area of proposed land to be diverted as per Gis DSS analysis is 0.2024 ha. which is less than area mentioned in the proposal.	प्रयोक्ता एर्जेन्सी द्वारा सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्रफल गैर वनभूमि हेतु ठीक करते हुए 0.245113 हे० करा दिया गया है। सी०डी० मूल में संलग्न की जा रही है। संलग्न :- 03 सी०डी० (संलग्नक-एक)
2	The proposal CA land falls within protected area boundary of Hastinapur WLS and Plantation scheme must be approved by Wild life warden.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत होने के कारण चयनित स्थल पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने बावत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जी० उ०प्र० लखनऊ से अनुमोदन करा लिया गया है। अनुमोदित पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है (संलग्नक- दो )
3	No measurement details is enclosed to explain area calculation of the proposed Forest area.	प्रयोक्ता एर्जेन्सी द्वारा एरिया कैलकुलेशन की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है। जिसकी 3 प्रतियां मूल में संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-तीन)

संलग्नक- उपरोक्तानुसार (अभिलेखों की 3-3 प्रतियां)

भवदीय,

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 2258 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्र संख्या-4805/14-1, दिनांक 18-02-2019 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक सूचना/अभिलेख (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।